भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

राजस्व न्यायालय

नामांतरण अपील वाद संख्या–03/2016–17

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
22.09.2021	(नीचे देखें)	

अभिलेख उपस्थापित किया गया आवेदिका/अपीलार्थी साईदा परवीन, पति–स्व0 सेराजुल हक, निवासी–वार्ड नं0–13, चक्रधरपुर, पो0+थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम ने अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण वाद संख्या–410/2015–16, दिनांक–31.12.2015 में परित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद संख्या–03/2016–17 दायर किया गया है। भूमि का विवरणी निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
चक्रधरपुर नगरपालिका, वार्ड नं0–15	68	74	579/B 579/1	0.15.000 ए0 0.10.325 ए0
			कुल रकवा	0.25.325 ए0

आवेदिका/अपीलार्थी द्वारा दिनांक–20.09.2021 को आवेदन पत्र दाखिल कर बताया गया है कि उक्त भूमि का नामांतरण अंचल कार्यालय, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–680/R27/2018–19, दिनांक–11.10.2018 द्वारा हो चुका है। आवेदिका द्वारा उक्त नामांतरण अपील वाद की कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त तथ्यों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदिका/अपीलार्थी का नामांतरण हो चुका है। इसलिए इस वाद में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश पारित करने एवं वाद की कार्रवाई को जारी रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा इस वाद में बिना गुण–दोष का विवेचना किए ही नामांतरण अपील वाद को समाप्त की जाती है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by ABHIJEET SINHA
Date: 2021.12.23 13:27:05 +05:30
Location: 192.168.225.91